प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा जिला उदयपुर।

विषय :– राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गुड़ा की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 खाता संख्या 53 में –

मुझ प्रार्थी का नाम चन्दु पुत्र थावरा दर्ज है। मेरा सही नाम चन्दुलाल है। राशन कार्ड, जन-आधार कार्ड, आधार कार्ड आदी सरकारी दस्तावेजों में मेरा सही नाम चन्दुलाल ही दर्ज है। मेरा नाम राजस्व खाते में दर्ज करते समय मुहबोला नाम चन्दु दर्ज हो गया जो कि मेरे वास्तविक नाम का अपभ्रंश या विकृत रुप है। अतः श्रीमान मेरा नाम चन्दु के बजाय चन्दुलाल दर्ज करने की कृपा करें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

चन्दुलाल
प्रार्थी

....

दिनांक :

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम-गुड़ा की खा. सं. 53 में प्रार्थी का नाम -चन्दु दर्ज है जबकि प्रार्थी के सरकारी दस्तावेजों में सही नाम चन्दुलाल दर्ज है। खाते में दर्ज प्रार्थी के नाम का विकृत या अपभ्रंश है। अतः ग्राम गुड़ा की खा. सं. 53 में दर्ज नाम -चन्दु के बजाय -चन्दुलाल सही इन्द्राज दर्ज किया जाना उचित है।

ILR पटवारी
16/11/2021

16/11/2021
पटवार मण्डल- गुड़ा
तह. नयागांव, जि. उदयपुर (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार, नयागांव

भू. अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार ग्राम गुड़ा की जमाबन्दी के खा. स. 53 में अंकित खातेदार का नाम -चन्दु पिता थावरा के बजाय चन्दुलाल पुत्र थावरा लाल दुरस्त किया जाना उचित है।

16.11.21
तहसीलदार-नयागांव
जिला-उदयपुर (राज.)

आदेश

तहसीलदार नयागांव की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम गुड़ा के खाता सं. 53 में चन्दु पुत्र थावरा के बजाय चन्दुलाल पुत्र थावरा के नाम की शुद्धि किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने बाबत तहसीलदार नयागांव को लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान गुड़ा

–:आदेश:–

प्रार्थी के ***"खाता दुरुस्ती"*** प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गुड़ा व भू.अ.नि. पाटिया की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार ~~सालासर~~ नयागांव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गुड़ा तहसील ~~सलूम्बर~~ नयागांव जिला ———— की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गुड़ा	53	चंदु पुत्र थावरा	चंदुलाल पुत्र थावरा

([signature])
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा

क्रमांक :– 2/प्रबन्ध/2021/226 दिनांक :– 18.11.2021.

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नयागांव को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ———————————————को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[signature]
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खैरवाड़ा